राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. निगरानी संख्या – 810 / 2016 / चित्तौड़गढ़.

मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड,
मकराना रोड़, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर. ......प्रार्थी.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक निम्बाहेडा.
2. कलक्टर (मुद्रांक), वृत भीलवाडा राजस्थान.
3. आन्ध्रा बैंक, के–13, अशोक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर.
4. बैंक ऑफ इण्डिया, नीलकंठ बिल्डिंग, भवानीसिंह रोड, जयपुर.
5. आई.डी.बी.आई.बैंक लिमिटेड, जीवन निधि बिल्डिंग, ग्राउण्ड फ्लोर, एल.आई.सी. कॉम्प्लेक्स, अम्बेडकर सर्किल भवानीसिंह रोड, जयपुर.
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, चेतक सर्किल, उदयपुर.
7. स्टेट बैंक आफ मैसूर, ताम्बी टावर, एस.सी.रोड, जयपुर. .....अप्रार्थीगण.

2. निगरानी संख्या – 2229 / 2016 / चित्तौड़गढ़.

राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक, निम्बाहेड़ा,
तहसील व जिला चित्तौड़गढ़. ......प्रार्थी.

बनाम

1. मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड, मकराना रोड़, मदनगंज जिला अजमेर.
2. आन्ध्रा बैंक, के–13, अशोक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर.
3. बैंक ऑफ इण्डिया, नीलकंठ बिल्डिंग, भवानीसिंह रोड, जयपुर.
4. आई.डी.बी.आई.बैंक लिमिटेड, जीवन निधि बिल्डिंग, ग्राउण्ड फ्लोर, एल.आई.सी. कॉम्प्लेक्स, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर.
5. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, चेतक सर्किल, उदयपुर.
6. स्टेट बैंक आफ मैसूर, ताम्बी टावर, एस.सी.रोड, जयपुर. .....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. पी. स्वामी, अभिभाषक ....प्रार्थी व्यवहारी की ओर से.
श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से.
श्री मनीष व्यास, अभिभाषक ....अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25 / 08 / 2017

निर्णय

1. ये दोनों निगरानियां प्रार्थीगण द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), वृत–भीलवाडा (जिसे आगे **'कलेक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के प्रकरण संख्या 190 / 2015 में पारित किये गये आदेश दिनांक 17.02.2016 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें कलेक्टर (मुद्रांक) ने प्रार्थी कम्पनी द्वारा

लगातार................2

विभिन्न बैंकों के साथ किये गये सामान्य ऋण अनुबन्ध (Common Loan Agreement) एवं Inter Creditor Agreement को मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल 6(2)(ए) की श्रेणी में मानते हुए ऋण राशि रूपये 762 करोड़ पर 0.1 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क एवं तद्नुसार सरचार्ज की देयता मानी गयी है।

2. इन दोनों निगरानियों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से दोनों निगरानियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी कम्पनी ने कस्बा निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ राजस्थान में सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने के उद्देश्य से दिल्ली स्थित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया — CAP ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से अप्रार्थी बैंकर्स संख्या 3 से 7 से रूपये 762 करोड़ का ऋण प्राप्त किया था। प्रार्थी कम्पनी व अप्रार्थी बैंकर्स संख्या 3 से 7 (पांच बैंकों के मध्य सम्पन्न) सामान्य ऋण अनुबन्ध (Common Loan Agreement) तथा Inter Creditor Agreement दिनांक 08.04.2011 को रूपये 762.00 करोड ऋण राशि के लिए दिल्ली से क्रय किए गए रूपये 100/— 100/— के तीन स्टाम्प पेपर पर दिनांक 08.04.2011 को निष्पादित किया गया एवं इन्हीं पक्षों के मध्य Inter Creditor Agreement दिल्ली से ही क्रय किए रूपये 100/— 100/— के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 08.04.2011 को निष्पादित किए गए।

4. उक्त दस्तावेजों की फोटोप्रति राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय राजस्थान जयपुर के माध्यम से कलेक्टर (मुद्रांक) को प्राप्त हुई। कलेक्टर (मुद्रांक) ने उक्त इकरारनामे को मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल 6(2)(ए) की श्रेणी में मानते हुए ऋण राशि रूपये 762 करोड़ पर 0.1 प्रतिशत से स्टाम्प ड्यूटी रूपये 76,20,000/—, सरचार्ज रूपये 7,62,000/—, ब्याज रूपये 48,86,370/— एवं शास्ति रूपये 48,86,370/— कुल राशि रूपये 1,81,54,740/— निर्धारित करते हुए अपना विस्तृत आदेश दिनांक 17.02.2016 को पारित किया। आदेश की प्रति प्राप्त करने के पश्चात प्रार्थी कम्पनी ने राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(6)वित्त/कर/2016—270 दिनांक 12.01.2016 के द्वारा जारी एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने के लिये कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष दिनांक 18.02.2016 अर्थात् आदेश के अगले ही दिन लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वे इस प्रकरण में छूट योजना के तहत राशि जमा कराना चाहते है। उक्त अधिसूचना के अनुसार अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिनांक 29.2.2016 तक की अवधि में जमा करायी जाने वाली बकाया

लगातार...............3

मुद्रांक शुल्क पर देय शास्ति व ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत रियायत देय थी। कलेक्टर (मुद्रांक) ने प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए स्टाम्प ड्यूटी रूपये 76,20,000 / — एवं सरचार्ज रूपये 7,62,000 / — कुल राशि रूपये 83,82,000 / — का चालान बनाते हुए प्रार्थी को ब्याज एवं शास्ति से 100 प्रतिशत छूट की राहत प्रदान करते हुए उक्त चालान जमा कराने के निर्देश दिये, जिसकी पालना में प्रार्थी कम्पनी ने दिनांक 26.02.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 उप—पंजीयक, निम्बाहेड़ा के कार्यालय में उक्त राशि जमा कराते हुए उसकी प्रति कलेक्टर (मुद्रांक) के कार्यालय में प्रस्तुत की। अधिसूचना में स्पष्ट अंकित है कि प्रकरण में पूर्व में अदा किये जा चुके स्टाम्प शुल्क, ब्याज व पेनल्टी के रूप में भुगतान की गई किसी भी अन्य राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं होगा। तत्पश्चात प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त जमा राशि को अण्डर प्रोटेस्ट जमा करवाया जाना बताते हुए राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की है।

5. इसी प्रकार कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश दिनांक 17.02.2016 के विरूद्ध राजस्व द्वारा भी निगरानी संख्या 2229 / 2016 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि उक्त बंधक पत्र दिनांक 08.04.2011 को निष्पादित किये गये हैं एवं उक्त बंधक पत्र के जरिये प्रार्थी कम्पनी द्वारा अपनी चल—अचल सम्पत्तियों की प्रतिभूति पर विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त करने का अनुबंध किया गया है जिस पर मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 के तहत मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है। चूंकि बंधक पत्र में सम्पत्तियों का कब्जा ऋणदाता को नहीं दिया गया है अतः मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल 37(बी) के तहत कुल ऋण राशि पर 2 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

7. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी कम्पनी ने कथन किया कि प्रश्नगत कॉमन लोन एग्रीमेंट व इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट राजस्थान से बाहर नई दिल्ली में निष्पादित हुए हैं। उक्त दस्तावेज राजस्थान में निष्पादित नहीं होने के कारण इन पर राजस्थान में किसी प्रकार के मुद्रांक शुल्क की देयता नहीं बनती है। उक्त दस्तावेज ना तो राजस्थान में निष्पादित हुए हैं एवं ना ही इनका राजस्थान में पंजीयन कराने का दायित्व है, ऐसी स्थिति में मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 एवं 55 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए मांग राशि कायम किया जाना प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध है। विवादित दस्तावेज नई दिल्ली में निष्पादित हुए हैं एवं नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में ही रखे हुए हैं, अतः प्रार्थी के स्टाम्प ड्यूटी का राजस्थान में दायित्व

लगातार...............4

नहीं है परन्तु कलेक्टर (मुद्रांक) ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए विवादित दस्तावेजों पर आर्टिकल 6(2)(ए) के तहत मुद्रांक शुल्क एवं तद्नुसार सरचार्ज, ब्याज व शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा अण्डर प्रोटेस्ट ऐमनेस्टी स्कीम के तहत मुद्रांक शुल्क की जो राशि जमा करवाई गई है वह रिफण्ड किये जाने योग्य है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रार्थी कम्पनी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश अपास्त करते हुए अण्डर प्रोटेस्ट जमा करवाई गई राशि मय ब्याज रिफण्ड किये जाने का अनुरोध किया।

7. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा बैंकों से किये गये एग्रीमेंट के दस्तावेज अनुच्छेद 37 के तहत बंधक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जिन पर मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 आर्टिकल 37(बी) अर्थात् कुल ऋण राशि पर 2 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है। कलेक्टर (मुद्रांक) ने उक्त दस्तावेज को आर्टिकल 6(2)(ए) के तहत अवधारित करते हुए कुल ऋण राशि पर 0.1 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क की देयता का निर्धारण किये जाने में विधिक भूल की है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश की पालना में स्वैच्छा से आदेश के अगले ही दिन राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना का लाभ लेते हुए ब्याज व शास्ति में छूट प्राप्त की जाकर मुद्रांक शुल्क मय सरचार्ज जमा करवाये गये हैं, जिनमें किसी प्रकार का अण्डर प्रोटेस्ट जमा करवाये जाने का उल्लेख नहीं है। अग्रिम कथन किया कि एमनेस्टी योजना का लाभ लेने के उपरान्त निगरानी का अधिकार समाप्त हो जाता है अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रथम दृष्टया अविधिक एवं विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की निगरानी स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थी कम्पनी की निगरानी अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

8. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। रिकार्ड तथा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.01.2016 एवं विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

9. प्रार्थी कम्पनी की ओर से लिखित एवं मौखिक कथनों में यह विवादित किया गया है कि प्रथमतः जिस लोन एग्रीमेंट के आधार पर मुद्रांक शुल्क आरोपित किया गया है वह किसी भी तरह से सम्पत्ति पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि इस अनुबंध में किसी भी स्थान पर सम्पत्तियों के विधिक अधिकार के रूप में कोई प्रतिभूति दिया जाना उल्लेखित नहीं है। ऐसी

लगातार...............5

स्थिति में लोन एग्रीमेंट को विवादित किया जाना उचित नहीं है एवं यह भी कथन किया है कि उनके द्वारा इस एग्रीमेंट की अनुपालना में विभिन्न अनुबंध अलग–अलग बैंकों से किये गये थे, साथ ही यह भी कथन किया है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा किये गये अनुबंध को विभाग द्वारा मूल रूप से प्राप्त ही नहीं किया गया है अतः ऐसी स्थिति में धारा 3 के तहत कोई शुल्क देय नहीं हो सकता। प्रार्थी का यह कथन वास्तविक तथ्यों से भिन्न है क्योंकि जहां तक दस्तावेजों को विभाग द्वारा प्राप्त करने का मामला है वह स्वयं प्रार्थी कम्पनी द्वारा मुद्रांक शुल्क अपवंचन करने के उद्देश्य से स्वयं द्वारा राज्य के विभाग के समक्ष अनुबंध को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस तरह वे स्वयं दोषी होने के बावजूद इसका भार विभाग पर प्रतिस्थापित करना चाहते हैं जो अनुचित है साथ ही यह तर्क दिया जाना भी उचित नहीं है कि लोन एग्रीमेंट के जरिये किसी सम्पत्ति के अधिकार (Title) को सेक्यूरिटी के रूप में प्रस्तुत किया गया था बल्कि इस एग्रीमेंट के आधार पर विभिन्न बैंको से अनुबंध किया जाना स्वयं प्रार्थी ने बताया है। चूंकि एग्रीमेंट के अनुसार लीड बैंक ही एक मात्र बैंक है अतः उस अनुबंध के आधार पर विभाग द्वारा मुद्रांक शुल्क लगाये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

10. यह टिप्पणी करना भी आवश्यक है कि राज्य के अन्वेषण विभाग द्वारा मुद्रांक शुल्क के अपवंचन की जानकारी होने पर उस अनुबंध की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करवाई गई थी ऐसी स्थिति में उस आधार पर जो मुद्रांक शुल्क आरोपित किया गया है उसमें कोई अविधिकता नहीं है क्योंकि प्रार्थी कम्पनी द्वारा जानबूझकर जब उस अनुबंध को राज्य के विभाग द्वारा छिपाया गया है तब यह कहना कि उनके द्वारा दस्तावेजों को प्राप्त किये बिना मुद्रांक शुल्क नहीं लगाई जा सकती, पूर्णतया कानून के उल्लंघन के पश्चात् भी मुद्रांक शुल्क नहीं दिये जाने की मंशा प्रकट करता है। फलतः प्रार्थी कम्पनी की निगरानी अस्वीकार योग्य है।

11. उक्त तथ्यात्मक बिन्दु के अलावा यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि निगरानीकर्ता द्वारा स्वयं ने दिनांक 18.02.2016 को राज्य सरकार की एमनेस्टी स्कीम हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 12.01.2016 का लाभ लिये जाने हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आदेश एवं चालान की प्रति उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया था जिसके आधार पर विभाग द्वारा उन्हें दिनांक 18.02.2016 को ई–चालान जारी कर दिया गया था एवं उसी आधार पर दिनांक 26.02.2016 को निगरानीकर्ता द्वारा मुद्रांक शुल्क की समस्त राशि जमा करवा दी गयी थी इस तरह अधिसूचना दिनांक 12.01.2016 का लाभ प्राप्त करने का विकल्प ले लिया गया था एवं उसके काफी अवधि गुजरने के

लगातार...............6

पश्चात् राजस्थान कर बोर्ड में दिनांक 11.04.2016 को निगरानी प्रस्तुत की गयी है जो पुनः निगरानीकर्ता द्वारा दोहरा लाभ लेने का प्रयास मात्र है क्योंकि एमनेस्टी स्कीम के प्रावधानों के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि इस अधिसूचना के तहत मुद्रांक शुल्क एक निर्धारित समयावधि में जमा करवाये जाने पर ब्याज एवं शास्ति में रियायत प्रदान हो जाती है। इस तरह एक ओर तुरन्त रूप से एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने हेतु राशि जमा करवा दी गयी है एवं दूसरी ओर उसी मामले को कर बोर्ड में विवादग्रस्त किया गया है जो पूर्णतया अनुचित है।

12. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.01.2016 निम्नानुसार है :–

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर दिनांक 12.01.2016

–: अधिसूचना :–

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999, का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9.क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि :–

1. कलेक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में इस अधिसूचना की दिनांक तक दर्ज एवं विचाराधीन मुद्रांक प्रकरणों में पक्षकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि जमा कराने पर उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति में निम्नानुसार रियायत देय होगी :–

(i) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 13.01.2016 से 29.02.2016 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शासति की राशि में 100 प्रतिशत रियायत देय होगी।

(ii) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.03.2016 से 31.03.2016 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 75 प्रतिशत रियायत देय होगी।

2. कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा इस अधिसूचना की दिनांक तक निर्णीत मुद्रांक प्रकरणों में निर्णय के फलस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि जमा करवाई जाती है तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति में निम्नानुसार रियायत देय होगी :–

(i) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 13.01.2016 से 29.02.2016 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 100 प्रतिशत रियायत देय होगी।

(ii) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.03.2016 से 31.03.2016 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 75 प्रतिशत रियायत देय होगी।

लगातार...............7

3. राजस्थान कर बोर्ड/उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में यदि पक्षकार द्वारा प्रकरण प्रत्याहरित (withdraw) कर स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि जमा करवाई जाती है तथा प्रत्याहरित (withdraw) करने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में निम्नानुसार रियायत देय होगी :–

(i) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 13.01.2016 से 29.02.2016 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 100 प्रतिशत रियायत देय होगी।

(ii) बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 01.03.2016 से 31.03.2016 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में 75 प्रतिशत रियायत देय होगी।

4. इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से पूर्व कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा निर्णीत प्रकरण में यदि पक्षकार द्वारा इस अधिसूचना की दिनांक से पूर्व स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय सम्पूर्ण राशि जमा करवाई जा चुकी है एवं ब्याज एवं शास्ति की राशि की 20 प्रतिशत राशि दिनांक 13.01.2016 से 31.03.2016 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो शेष 80 प्रतिशत ब्याज एवं शास्ति की राशि की रियायत देय होगी।

5. राजस्थान कर बोर्ड/उच्च न्यायालय/अन्य न्यायालयों में विचाराधीन जिन प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय सम्पूर्ण राशि अधिसूचना की दिनांक से पूर्व जमा कराई जा चुकी है, उनमें पक्षकार द्वारा प्रकरण प्रत्याहरित (withdraw) करने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तथा देय ब्याज एवं शास्ति की राशि की 20 प्रतिशत राशि दिनांक 13.01.2016 से 31.03.2016 की अवधि में जमा कराई जाती है, तो शेष 80 प्रतिशत ब्याज एवं शास्ति की राशि की रियायत देय होगी।

6. राजस्थान कर बोर्ड में निगरानी दायर हेतु राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 65 के परन्तुक के तहत जमा कराई गई सम्पूर्ण राशि को स्टाम्प ड्यूटी पेटे समायोजित किया जायेगा।

उक्त प्रकार के किसी भी प्रकरण में पूर्व में अदा किये जा चुके स्टाम्प शुल्क व अन्य राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं होगा।

यह अधिसूचना दिनांक 31.03.2016 तक प्रभावी रहेगी।

(सं.प.2(6)वित्त/कर/2014–113)
राज्यपाल के आदेश से,
ह0
(डॉ0 देवराज)
संयुक्त शासन सचिव

लगातार...............8

13. प्रस्तुत प्रकरण में यह बिन्दु अवलोकनीय है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 17.02.2016 के पश्चात् दिनांक 18.02.2016 को कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अंकन किया गया है कि **'उक्त प्रकरण में हम विपक्षी संख्या (1) मै0 वण्डर सीमेण्ट लि0 की ओर से उक्त प्रकरण में छूट योजना के तहत राशि जमा कराना चाहते हैं। जिसके लिये हमें आदेश एवं चालान की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश करावें।'** इस प्रकार स्पष्ट रूप से प्रार्थी द्वारा स्वैच्छा से योजना का लाभ लेते हुए ब्याज एवं शास्ति में छूट प्राप्त की गयी है एवं देय मुद्रांक शुल्क व सरचार्ज की राशि उप—पंजीयक कार्यालय में जमा करवाई गई है।

14. इस प्रकार प्रार्थी कम्पनी के प्रतिनिधि ने राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.01.2016 की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए व्यक्तिगत उपस्थित होकर दिनांक 18.02.2016 को प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधिसूचना के अनुसार स्वतः रियायत का लाभ प्राप्त होता है। एक बार रियायत प्राप्त करने के पश्चात प्रार्थी कम्पनी के निगरानी के विधिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं तथा कोई भी पक्षकार एमनेस्टी योजना का लाभ लेने के पश्चात् कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश को विवादित नहीं कर सकता है। साथ ही उसके द्वारा जमा करवायी गयी राशि का रिफण्ड प्राप्त करने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा राशि जमा कराते समय under protest का उल्लेख किया है, वह भी अनुचित है क्योंकि एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने की कोई अनिवार्यता नहीं थी बल्कि निगरानीकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित थे कि वे कर बोर्ड में केवल 25 प्रतिशत राशि जमा करवाकर तुरन्त निगरानी पेश कर देते। इस तरह निगरानीकर्ता को दोहरा लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

16. परिणामस्वरूप प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत निगरानी उक्त विवेचन के साथ अस्वीकार की जाती हैं।

17. जहां तक राजस्व की ओर से प्रस्तुत निगरानी संख्या 2229/2016 का प्रश्न है, राजस्व की ओर से यह कथन किया गया कि प्रश्नगत एग्रीमेंट के जरिये अप्रार्थी कम्पनी द्वारा अपनी चल—अचल सम्पत्तियों को बैंकों को प्रतिभूति के जरिये बंधक रखा जाकर ऋण प्राप्त किया गया है, जिस पर मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 एवं आर्टिकल 37(बी) के तहत कुल ऋण राशि पर 2 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है। अतः कलेक्टर (मुद्रांक) ने उक्त दस्तावेजों को आर्टिकल 6(2)(ए) के तहत अवधारित किये जाने में विधिक

लगातार...............9

त्रुटि की गयी है। इस सम्बन्ध में मुद्रांक अधिनियम की धारा 3, आर्टिकल 37 व 6(2)(ए) का अवलोकन किया गया, जो निम्न प्रकार है :—

3. Instrument chargeable with duty.-

Subject to the provisions of this Act and the exemptions contained in the Schedule, the following instruments shall be chargeable with duty of the amount indicated in the Schedule as the proper duty therefor respectively, that is to say,-

(a) every instrument mentioned in that Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed in the State on or after the date of commencement of this Act;

(b) every instrument mentioned in that Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed out of the State on or after the said date, relates to any property situate, or to any matter or thing done or to be done in the State and is received in the State :

Provided that no duty shall be chargeable in respect of,-

(i) any instrument executed by or on behalf of, or in favour of, the Government in cases where, but for this exemption, the Government would be liable to pay the duty chargeable in respect of such instrument;

(ii) any instrument for the sale, transfer or other disposition, either absolutely or by way of mortgage or otherwise, of any ship or vessel, or any part, interest, share or property of or in any ship or vessel registered under the Merchant Shipping Act, 1958 (Act No. 44 of 1958), as amended by subsequent Acts.

मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत अनुच्छेद 6(2)(ए) निम्न प्रकार है :—

S. No.	Description of instrument	Proper Stamp-Duty
6.	**Agreement or any other document (memorandum etc.) relating to the deposit of title deeds, pawn or pledge** i.e. any documentary proof relating to] (2) the pawn or pledge of movable property, where such deposit, pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt: (a) if such loan or debt is repayble on demand or more than three months from the date of the instrument evidencing the agreement or proof of deposit of title deeds.	0.1 percent of the amount of loan or debt.

लगातार.............10

मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत अनुच्छेद 37 निम्न प्रकार है :–

No.	Description of instrument	Proper Stamp-Duty
37.	**Mortgage deed, not being an agreement relating to deposit of tital-deeds, pawn or pledge (No. 6) mortgage of a crop (No. 38) security Bond (no 50)**	
	(a) when possession of the property of any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagor or agreed to be given.	(a) The same duties on a conveyance (no 21) for a consideration equal to the amount secured by such deed
	(b) When possession if not given or agreed to be given as aforesaid.	(b) The same duty as on a bond (no.14) for the amount secured by such deed.

18. उक्त प्रावधानों के अधीन कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश का अवलोकन किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रकरण के तथ्यों, विधिक प्रावधानों एवं विवादित दस्तावेज का विस्तृत रूप से विश्लेषण करते हुए विवादित दस्तावेज को मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल 6(2)(ए) के तहत अवधारित करते हुए इस पर 0.1 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क की देयता का निर्धारण किया गया है, जिसमें इस पीठ के द्वारा किसी प्रकार की विधिक / तथ्यात्मक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। विवादित दस्तावेज के द्वारा प्रार्थी कम्पनी एवं बैंकों के मध्य एक Common Loan Agreement तथा Inter Creditor Agreement निष्पादित किया गया है, जिसके तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा अपनी चल–अचल सम्पत्तियों की Title deed जमा करवाकर विभिन्न बैंकों से संयुक्त रूप से रूपये 762 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया है जिस पर मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल 6(2)(ए) के तहत कुल ऋण राशि पर 0.1 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है। अतः कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत निगरानी विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होनें से अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

19. परिणामस्वरूप प्रार्थी कम्पनी एवं प्रार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों निगरानियां अस्वीकार की जाती हैं।

20. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष